

के हक में सीदान द्वारा निष्पादित
वलीगट विनं 16/4/2010 को वादीगण
व उदियादीगण के द्वारा आपली सदमति
से निरस्त, शून्य, प्रभावहीन करने के
आ अनुबंध स्वीकार किया जाता है।
अविष्य में इन वलीगट का अयोग
नहीं करेंगे। दावा डिब्री किया जाता है।
डिब्री जारी हो। निर्णय सुक
वामालय में सुनाया गया। पत्रावली
जिसत सुमार दोठर नम्बर के कम है।
आप वरमिद दारिगत दफतर है।



अखण्ड अधिकारी
ककड़ी (अजमेर)